

बिन्दु-(v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

Government Orders

क्र०सं०	विषय	संख्या एवं दिनांक
1.	सार्वजनिक उपकरणों/निगमों के अधिकारियों /कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान ।	संख्या-133/44-1-2010-2 उवेरि/98. दिनांक 30 मार्च,2010
2.	वेतन समिति (2008) के सातवें प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सार्वजनिक उपकरणों/निगमों के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को राज्य कर्मचारियों के लिए लागू समयमान वेतनमान/ए०सी०पी० की व्यवस्था लागू किए जाने के संबंध में ।	संख्या-676/44-1-2010, दिनांक 15 अप्रैल,2010
3.		संख्या-749/44-1-2010-77/2009, दिनांक 26 अप्रैल,2010
4.	वेतन समिति (2008) के सातवें प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सार्वजनिक उपकरणों/निगमों के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन / वेतनमान में संशोधन ।	संख्या- 860/44-1-2010, दिनांक 12 मई,2010
5.	सार्वजनिक उपकरणों/ निगमों के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को समयमान वेतनमान / एस०सी०पी० की व्यवस्था लागू किए जाने के संबंध में ।	संख्या-675/44-1-2010-71-2010, दिनांक 13 मई,2010
6.	सार्वजनिक उपकरणों/ निगमों में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों को स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहन सुविधा दिये जाने की व्यवस्था ।	संख्या-191(1)/44-1-2010-12/2010, दिनांक 21 मई,2010
	सार्वजनिक उपकरणों/ निगमों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड/	

7.	वेतनमान एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृति।	संख्या-300/44-1-2010-99-2008, दिनांक 25 मई,2010
8.		संख्या- 1145/44-1-2010-30/2001, दिनांक 02 जुलाई,2010
9.	सार्वजनिक उपकरणों/ निगमों में नियुक्त विकलांग एवं नेत्रहीन कर्मचारियों को देय वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण।	संख्या-809/44-1-2010-86/2010, दिनांक 23 अगस्त,2010
10.	सार्वजनिक उपकरणों/ निगमों के संचालक मण्डलों में सार्वजनिक उधम विभाग के प्रतिनिधि का निदेशक/ सदस्त के रूप में नामांकन। सार्वजनिक उपकरणों/ निगमों में प्रसूति अवकाश की सीमा में वृद्धि तथा बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति। सार्वजनिक उपकरणों/ निगमों के अधिकारियों/ कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान।	संख्या-1316/44-1-2010-2 उवेरि/98, दिनांक 25 अगस्त,2010